

## मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु प्रतिवेदन

1. आवेदक नाम एवं पता : .....
2. व्यवसाय (यदि शासकीयसेवक है तो कार्यालय का नाम दें) : .....
3. वार्षिक आय : .....
4. आर्थिक सहायता का प्रयोजन : .....
5. क्या अन्य किसी स्रोत/योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है/संभावित है। : .....
6. विपदाग्रस्त योगों की सहायतार्थ शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता की पात्रता है या नहीं (कृपया मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्र क्रमांक आर.एफ. 170 सी.एम.एफ. 86 दिनांक 05.07.88 देखें) : .....
7. यदि गंभीर बीमारी के उपचार/आपरेशन हेतु अधिक सहायता चाही गई है तो बीमारी का नाम चिकित्सा परामर्श की प्रति अनुमानित व्यय की जानकारी अस्पताल का नाम तथा आपरेशन की तिथि आदि की जानकारी दी जाये। (कृपया सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी दें) : .....
8. अनुशासित सहायता राशि का आकार : .....
9. मुख्यमंत्री सहायता कोष से शत-प्रतिशत सहायता राशि स्वीकृत करना संभव नहीं है। तात्कालिक राहत के उद्देश्य से आंशिक सहायता दी जाना संभव है। अतः शेष राशि (कुल व्यय की अधिकांश व्यवस्था आवेदक को ही करना होगी। की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी। : .....
10. क्या पूर्व में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता स्वीकृत की गई है, (विवरण दें)? : .....
11. अ. रिमार्क परिवार के वयस्क सदस्यों की आय/पेशे एवं पारितभूमि का विवरण : .....
11. ब. सहायता का औचित्य और अनुशांसा : .....

डिप्टी कलेक्टर  
बास्ते - कलेक्टर  
जिला भिण्ड (म.प्र.)